उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-170/दो-4-2022-45(32)2006
लखनऊ दिनांक: 21 अप्रैल, 2022

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

उ0प्र0 न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन विषयक अधिसूचना संख्या-169/दो-4-2022-45(32)/2006, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

(3) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

(4) भाषा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

(5) निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को गजट में प्रकाशनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022 की अधिसूचना संख्या-169/दो-4-2022-45(32)/2006, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 को सरकारी गजट, उ0प्र0 के असाधारण अंक, विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) में दिनांक 21 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित करते हुए 500 मुद्रित प्रतियां नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)**

(6) गार्ड फाइल।

(घनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

Mangal P.C. General U.O.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.169/Two-4-2022-45(32)/2006 dated: April 21 ,2022:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

APPOINTMENT SECTION-4

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.169/Two-4-2022-45(32)/2006

Date: April 21 ,2022

In exercise of the powers conferred by the Article 234 and the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor, in consultation with the Uttar Pradesh Public Service Commission and the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Judicial Service Rules,2001;

THE UTTAR PRADESH JUDICIAL SERVICE (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2022

Short Title and commencement:- 1.(i) These rules may be called "The Uttar Pradesh Judicial Service (Fourth Amendment) Rules, 2022."

(ii) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 8, Part III: 2. In the Uttar Pradesh Judicial Service Rules,2001, hereinafter referred as the said rules for the existing rule-8 set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:

COLUMN-1 Existing Rule	**COLUMN-2 Rule as here by substituted**
8. Reservation.- Reservation to posts in the service for the members of the scheduled castes, scheduled tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the law prescribing reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other categories.	**Reservation 8-** Reservation for the candidates belonging to the scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of freedom fighters and Ex-Service men) Act 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Provided that four percent of vacancies shall be reserved for the following persons with "benchmark disabilities",namely: (i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of

	'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016):- **(a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs;** **(b) Leprosy cured person;** (c) Dwarfism; (d) Acid attack victims; (ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) & (iii), on rotation basis. Explanation:- The roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of Section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in categories (i) to (iii) mentioned above, in the same order: Provided further that the candidates who are able to perform the following physical activities alone are Eligible: (a) Work performed by Sitting; (b) Work performed by Standing; (c) Work performed by Walking; (d) Work performed by Seeing; (e) Work performed by Hearing; (f) Work performed by Reading and Writing; (g) Communicating (Communicating would also include verbal or non-verbal communication).

Amendment of Appendix II- 3. In the said rules in existing **appendix-II** set out in column - 1 below the provision as set out in column- 2 shall be substituted namely:

(1) Paper No. 2 shall be amended as under:

-3/-

COLUMN-1 Existing Provision	COLUMN-2 Provision as substituted
Appendix-II (See Rule 19) **Paper No. 2 – Language** This paper will be of 200 marks. It shall comprise four questions as specified below: (i) Essay to be written in English: 60 marks (ii) English Precis writing: 60 marks (iii) Translation of passage from Hindi to English: 40 marks (iv) Translation of passage from English to Hindi: 40 marks	**Appendix-II** (See Rule 19) **Paper No. 2 – English Language** This paper will be of 100 marks. It shall comprise Three questions as specified below: (i) Essay: 50 marks (ii) Precis writing: 30 marks (iii) Translation of passage from Hindi to English: 20 marks

(2) A new Paper No. 3 – Hindi Language shall be inserted after Paper No. 2 – as follows:

Paper No. 3 – Hindi Language

This paper will be of 100 marks. It shall comprise three questions as specified below:-

(i) Essay: 50 marks

(ii) Precis writing: 30 marks

(iii) Translation of passage form English to Hindi: 20 marks

(3) Paper No. 3 – Law I (Substantive Law) shall be renumbered as **Paper No.4 – Law I (Substantive Law)**

(4) Paper No. 4 – Law II (Procedure and Evidence) shall be renumbered as **Paper No. 5 – Law II (Procedure and Evidence).**

(5) Paper No. 5 shall be amended as under:

Existing Provisions	Provisions as hereby substituted
Appendix-II (See Rule 19) **Paper No. 5 - Law III (Penal, Revenue and Local Laws).** This paper will be of 200 marks. Questions set will be restricted to the field	**Appendix-II** (See Rule 19) **Paper No. 6 - Law III (Penal, Revenue and Local Laws).** This paper will be of 200 marks. Questions set will be restricted to the field

covered by- Indian Penal Code, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1951, Uttar Pradesh Urban Building (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, Uttar Pradesh Municipalities Act, U.P. Panchayat Raj Act, U.P. Consolidation of Holdings Act, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act, 1973 together with rules framed under the aforesaid Acts. Answer to the question of Local Laws will be compulsory. Questions pertaining to penal Laws will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.	covered by- Indian Penal Code, **Uttar Pradesh Revenue Code, 2006**, Uttar Pradesh Municipalities Act, U.P. Panchayat Raj Act, U.P. Consolidation of Holdings Act, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act, 1973 together with rules framed under the aforesaid Acts. Answer to the question of Local Laws will be compulsory. Questions pertaining to penal Laws will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.

(6) No. 6 – Interview shall be renumbered as No.7 – Interview.

By Order,

(Dr. Devesh Chaturvedi)
Additional Chief Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-169/दो-4-2022-45(32)/2006
लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2022

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर-प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(एक) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022" कही जायेगी।
(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग-तीन

नियम-8 में संशोधन 2. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
8- आरक्षण- सेवा में पदों पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिये आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण विहित करने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार होगा।	**8- आरक्षण-** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यह कि चार प्रतिशत रिक्तियां मानक दिव्यांगता वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के लिये आरक्षित की जायेंगी, अर्थात् :-

	(एक) चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) की श्रेणी के अधीन एक प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणी वाले दिव्यांगजनों के लिये :- (क) एक भुजा, एक पैर और दोनों पैरों की चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता; (ख) कुष्ठ उपचारित व्यक्ति; (ग) बौनापन; (घ) एसिड अटैक पीड़ित; **(दो)** (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'दृष्टिह्रास' श्रेणी के अधीन 'निम्न दृष्टि' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत; **(तीन)** (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'श्रवण शक्ति का ह्रास' श्रेणी के अधीन 'ऊंचा सुनने वाले' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत; **(चार)** चक्रानुक्रम के आधार पर खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये शेष एक प्रतिशत। **स्पष्टीकरण :-** उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा-34 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और (ड.) में उल्लिखित मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिये तात्पर्यित रोस्टर बिन्दु ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (एक) से (तीन) में अभ्यर्थियों के लिये उसी क्रम में आवंटित किये जायेंगे : परन्तु यह और कि निम्नलिखित शारीरिक क्रिया कलाप करने में समर्थ अभ्यर्थी ही पात्र हैं : (क) बैठकर निष्पादित कार्य; (ख) खड़े होकर निष्पादित कार्य; (ग) चलकर निष्पादित कार्य; (घ) देखकर निष्पादित कार्य; (ड.) श्रवण कर निष्पादित कार्य;

-3/-

	(च) लिख और पढ़कर निष्पादित कार्य; (छ) संसूचित करना (संसूचना के अन्तर्गत मौखिक या गैर मौखिक संसूचना सम्मिलित है)।

परिशिष्ट दो का संशोधन 3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट दो के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा :-

(1) प्रश्नपत्र संख्या 2 निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :-

स्तम्भ-1 **विद्यमान उपबंध**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध**
परिशिष्ट-दो **(नियम-19 देखें)** **प्रश्नपत्र संख्या-2- भाषा** यह प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से चार प्रश्न समाविष्ट होंगे :- (एक) अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध: 60 अंक (दो) अंग्रेजी में सारलेखन: 60 अंक (तीन) हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद: 40 अंक (चार) अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद: 40 अंक	**परिशिष्ट-दो** **(नियम-19 देखें)** **प्रश्नपत्र संख्या-2- अंग्रेजी भाषा** यह प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। इसमें तीन प्रश्न समाविष्ट होंगे, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है :- (एक) निबन्ध: 50 अंक (दो) सारांश लेखन: 30 अंक (तीन) हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद: 20 अंक

(2) नया प्रश्नपत्र संख्या 3- प्रश्नपत्र संख्या-2 के पश्चात् हिन्दी भाषा निम्नानुसार बढ़ा दी जायेगी :-

प्रश्नपत्र संख्या 3- हिन्दी भाषा

यह प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। इसमें तीन प्रश्नपत्र समाविष्ट होंगे जो नीचे यथाविनिर्दिष्ट हैं:-

(एक) निबन्ध: 50 अंक

(दो) सारांश लेखन: 30 अंक

(तीन) अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद: 20 अंक

(3) प्रश्नपत्र संख्या 3- विधि प्रथम (मौलिक विधि) को प्रश्नपत्र संख्या-4 विधि प्रथम (मौलिक विधि) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा।

(4) प्रश्नपत्र संख्या 4- विधि द्वितीय (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) को प्रश्नपत्र संख्या 5- विधि द्वितीय (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा।

(5) प्रश्नपत्र संख्या 5 निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :-

-4/-

विद्यमान उपबंध	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
परिशिष्ट-दो **(नियम-19 देखें)** **प्रश्नपत्र संख्या 5- विधि-3** **(दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियां)** यह प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे :- भारतीय दण्ड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, **उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखला का विनियमन) अधिनियम, 1972,** उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, यू0पी0 पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 और पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनायी गयी नियमावलियां। स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।	**परिशिष्ट-दो** **(नियम-19 देखें)** **प्रश्नपत्र संख्या 6- विधि-3** **(दण्ड, राजस्व और स्थानीय विधियां)** यह प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। प्रश्न समुच्चय निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होगा :- भारतीय दण्ड संहिता, **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006,** उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973 और तत्धीन बनायी गयी नियमावली। स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दण्ड विधियों के प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के अंक 150 अंक के होंगे।

(6) संख्या 6- साक्षात्कार को संख्या 7- साक्षात्कार के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।